[2019] 3 एस. सी. आर. 411

खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड।

(अब खोडे इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

और अन्य

वी.

श्री महादेश्वर सहकार शेखर

कारखाने लिमिटेड। , कोल्लेगल (समानता के तहत)

लिकुइडेटर द्वारा प्रस्तुत

(2019 की सिविल अपील संख्या 2432)

मार्च 1,2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

समीक्षाः फैसले की समीक्षा जिसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका थी

* अब्बई मलिगाई पार्टनरशिप फर्म मामले में और * * कुन्हयमद मामले में सवाल पर परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दियाः दोनों मामलों में कोई मतभेद नहीं है * अब्बई मलिगाई

साझेदारी फर्म मामले का फैसला इसके विशिष्ट तथ्यों पर किया गया था * * कुन्हयमद मामले में सही कानून निर्धारित किया गया है

एस एलपीएस के बाद से

बिना कोई कारण बताए सीमा में खारिज कर दिए गए थे, वर्तमान मामलों में दायर समीक्षा याचिकाएं बनाए रखने योग्य थीं

भारतीय संविधान कला। 136 .

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. * अब्बई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म का मामला विधिवत है

* * कुन्हयमद मामले में निर्णय में संज्ञान लिया गया और समझाया गया। जहां तक अनुपात की बात है तो कोई टकराव नहीं है

दो मामले संबंधित हैं। इसके अलावा, * अब्बई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म मामले का फैसला इसके विशिष्ट तथ्यों पर किया गया था, जिसमें कानून के किसी भी सिद्धांत पर कोई चर्चा नहीं की गई थी, जबकि * * कुन्हयमद मामला एक

कानून के अच्छी तरह से स्वीकृत प्रस्तावों पर आधारित विस्तृत चर्चा

जो इस तरह के मुद्दे पर लागू होते हैं। * * कुन्हयमद मामले में विस्तृत निर्णय सही कानून निर्धारित करता है और कोई नहीं है

मामलों को बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है। [पैरा 25] [432-डी-ई]

2. * * कुन्हयमद मामले में दिए गए निष्कर्ष और

पैराग्राफ 44 में संक्षेप में निम्नलिखित रूप में पुष्टि और दोहराया गया है:

3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ((iv) अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश गैर-बोलने वाला आदेश या बोलने वाला आदेश हो सकता है। किसी भी मामले में यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। इनकार करने का आदेश अपील के लिए विशेष अनुमति चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था ताकि

अपील दायर करने की अनुमति दें।

(v) यदि अपील करने की अनुमति से इनकार करने का आदेश एक बोलने का आदेश है,

यानी, छुट्टी देने से इनकार करने के कारण बताते हैं, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं। सबसे पहले, आदेश में निहित कानून का बयान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा है।

संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर न्यायालय। दूसरा, कानून की घोषणा के अलावा, आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हैं जो उसके पक्षों को और न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की किसी भी कार्यवाही में बाध्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन, यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या

नीचे दिए गए प्राधिकरण का विलय इस क्रम में किया गया है कि

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया या यह कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकमात्र ऐसा आदेश है जो दोनों पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में न्यायिक आधार पर बाध्यकारी है।

पार्टियाँ। (vi) एक बार अपील करने और अपील करने की अनुमति दे दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया है

अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा;

आदेश प्रत्यावर्तन, संशोधन या मात्र हो सकता है।

पुष्टि।

(vii) किसी अपील को प्राथमिकता दिए जाने या अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में परिवर्तित किए जाने पर, उसके बाद पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र खो जाता है।

आदेश 47 सी. पी. सी. के नियम 1 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदान किया गया।

[पैरा 27] [433-डी-एच; 434-ए-सी]

3. एक बार यह माना जाता है कि कानून * * कुन्हयमद में निर्धारित किया गया है

इसका पालन किया जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड।

वी. श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड।

समीक्षा याचिका विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले दायर की गई थी या विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद दायर की गई थी। ऐसी स्थिति * * कुन्हयमद मामले के पैरा 37 में शामिल है।

[पैरा 27] [434-डी-ई]

4. चूंकि 2019 की सिविल अपील संख्या 2432 को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था, इसलिए द्वारा दायर समीक्षा याचिका

उच्च न्यायालय में अपीलार्थी विचारणीय होगा और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 2008 को पारित आदेश को तदनुसार दरकिनार कर दिया गया है और मामला है

गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया। [पैरा 28] [434-एफ]

5. 2019 की सिविल अपील संख्या 2433 को भी बिना किसी बोलने के आदेश के खारिज कर दिया गया था। विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद, इस अपील में प्रतिवादी ने पुनर्विचार याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपीलार्थी द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाने और न्यायालय में धोखाधड़ी करने के आधार पर 12 दिसंबर, 2012 को आदेश पारित करके उक्त समीक्षा याचिका की अनुमति दी जाती है। इस तरह की समीक्षा याचिका विचारणीय थी। इसलिए, उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर इस पर विचार करने का अधिकार दिया गया था। जहाँ तक योग्यता के आधार पर 12 दिसंबर, 2012 के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलार्थी की अपील का संबंध है, इस मामले को निर्णय लेने के लिए नियमित बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। [पैरा 28] [435-ए-सी]

** कुन्हयमद और अन्य बनाम। केरल राज्य और

एक और (2000) 6 एससीसी 359: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 538; पलानी रोमन कैथोलिक मिशन बनाम। एस. बागीरथी अम्मल

(2009) 16 एस. सी. सी. 657; भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम। कृष्ण कुमार विज और एक अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 701: [2010] 10 एस. सी. आर. 462; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। राज्य

केरल और अन्य 2018 (11) स्केल 141

- पर भरोसा किया।

* अब्बई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म और एक अन्य v.

के. शांताकुमारन और अन्य (1998) 7 एससीसी 386:

[1998] 1 पूरक। एससीआर 535-प्रतिष्ठित।

थुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सरकार. ए. पी. ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1372: [1964] एस. सी. आर. 174; मेघमाला और अन्य बनाम। जी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य (2010) 8 एससीसी 383:

[2010] 10 एस. सी. आर. 47; गंगाधर पालो बनाम। राजस्व मंडल अधिकारी और एक अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 602: [2011] 3 एस. सी. आर. 74; कामगार बनाम। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल (1978) 3 एस. सी. सी. 119 [1978] 3 एस. सी. आर. 971: वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण ए. आई. आर. 1958 मद 398; इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. बिहार राज्य (1986) 4 एस. सी. सी. 146: [1986] 3 एस. सी. आर. 553; रूप डायमंड्स बनाम। भारत संघ (1989) 2 एससीसी 356: [1989] 1 एस. सी. आर. 13; उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ। वी. भारत संघ (1989) 4 एससीसी 187: [1989] 3 एससीआर 488; योगेंद्र नारायण चौधरी बनाम। भारत संघ (1996) 7 एससीसी 1: [1995] 6 पूरक। एससीआर 17; वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम। सीआईटी (2000) 5 एससीसी 373: [2000] 2 एससीआर

1169 ; श्री नारायण धर्मसंघोम न्यास बनाम।

स्वामी प्रकाशानंद (1997) 6 एस. सी. सी. 78: [1997] 3 एससीआर 799; महाराष्ट्र राज्य बनाम। प्रभाकर भीकाजी इंगले (1996) 3 एस. सी. सी. 463: [1996] 3 एससीआर 211; पेनू

[1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 535; शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम। कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट (1969) 2 एस. सी. सी. 74: [1970] 1 एससीआर 322; सुशील कुमार सेन बनाम। की स्थिति बिहार (1975) 1
एससीसी 774: [1975] 3 एससीआर 942;

गोपबंधु बिस्वाल बनाम। कृष्ण चंद्र मोहंती

(1998) 4 एससीसी 447: [1998] 2 एससीआर 1108; जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स फोरम बनाम। भारत संघ (1993) 4 पूरक। एससीसी 693: [1992] 1 पूरक। एस. सी. आर. 764-संदर्भित।

विल्सन बनाम। कोलचेस्टर जस्टिस (1985) 2 ऑल ईआर 97 (एचएल)

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 1 पूरक। एससीआर 535

प्रतिष्ठित

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2010] 10 एससीआर 47

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2011] 3 एससीआर 74

संदर्भित किया गया है

पैरा 12 खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड। वी. श्री महादेश्वर साकर साकर कारखाने लिमिटेड।

(2009) 16 एस. सी. सी. 657

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2010] 10 एससीआर 462

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

उस पर भरोसा करें

2018 (11) स्केल 141

पै

रा 15

[1978] 3 एससीआर 971

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

ए. आई. आर. 1958 मैड 398

[1986] 3 एससीआर 553

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1989] 1 एससीआर 13

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1989] 3 एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1995] 6 पूरक। एससीआर 17

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 एससीआर 1169

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 एससीआर 799

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 एससीआर 211

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1964] 7 एससीआर 49

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1998] 1 पूरक। एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1970] 1 एससीआर 322

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1998] 2 एससीआर 1108

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1992] 1 पूरक। एससीआर 764

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1989] 3 एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2

2019 का

2011 की समीक्षा याचिका संख्या 96 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 09.09.2011 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 2433।

जयदीप गुप्ता, रवींद्र रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सेंथिल जगदी सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सुरीती चौधरी, सुश्री मृणाल कंवर, पा [2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिल, अनिर्बान सेन, सौरव गुप्ता, तवीश बी. प्रसाद, गौरव जैन, सुश्री आभा जैन, रणबीर सिंह यादव, पूरन मल सैनी, सुश्री अंजू के. वर्की, राजीव कुमार दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, भक्ति वर्धन सिंह, अनमोल तायल, एस. विनय रत्नाकर, अशोक पाणिग्रही, शांतकुमार वी. महाले, अब्दुल रहिमान, राजेश महाले, अमित जे., रणबीर यादव, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन दोनों अपीलों में कानून का प्रश्न समान है। हालाँकि, 2012 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 490 से उत्पन्न दीवानी अपील के तथ्यों पर चर्चा के लिए नोट किया गया है, क्योंकि इस मामले में, 19 अक्टूबर, 2012 का आदेश पारित किया गया है, जिसमें कानून के प्रश्न को एक व्यापक याचिका के लिए संदर्भित किया गया है।

बेंच।

3. इससे पहले कि हम कानून के सवाल का विज्ञापन करें, हम मौलिक तथ्यों का जायजा लेना उचित समझते हैं क्योंकि उक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे के निहितार्थ को समझना आसान बनाएँ।

4. प्रतिवादी संख्या 1 ने बैंगलोर शहर के XXXI अतिरिक्त सिटी सिविल जज की फाइल पर अपीलार्थी के खिलाफ मूल मुकदमा दायर किया था। यह ब्याज के साथ रु. 1,00,76,630/- की वसूली के लिए एक धन मुकदमा था। सिटी सिविल जज ने मुकदमे के बाद, अपने 11 नवंबर, 2005 के फैसले और डिक्री के आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया, भले ही योग्यता के आधार पर यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा धन का भुगतान किया जाना था।

प्रतिवादी नं. 1. इसके खिलाफ, प्रतिवादी संख्या 1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के तहत पहली अपील को प्राथमिकता दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर, 2008 को इस अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया था कि मुकदमा सीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया था। तदनुसार, इसने मांग की तारीख, यानी 19 जुलाई, 1994 से 3 अगस्त, 1994 तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावा की गई राशि का आदेश पारित किया और 4 अगस्त, 1994 से भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी। इस विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय ने 04 दिसंबर, 2009 को निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दिया थाः

" देरी को माफ कर दिया गया।

विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। " खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड।

वी. श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1

निचली अदालत में फांसी की याचिका दायर की।

5. इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के मुकदमे का फैसला करने के बाद, प्रतिवादी ने इसके लिए आवेदन दायर किया था।

निर्णय में सुधार, जिसे 20 अक्टूबर, 2010 को अनुमति दी गई थी, जिसमें अपीलार्थी को ब्याज और लागत के साथ डिक्रीटल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

यह निष्पादन कार्यवाही का विषय है। 6. अपीलार्थी, विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद भी, समीक्षा याचिका के रूप में उच्च न्यायालय में वापस चला गया

उच्च न्यायालय द्वारा पारित 12 नवंबर, 2008 के फैसले की समीक्षा की मांग। यह इस आधार पर दायर किया गया था कि उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की थी जो मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी नहीं मांगी गई थी। हम समीक्षा में इस संबंध में लिए गए सटीक आधार को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। याचिकाः

" 11. उपरोक्त समीक्षा याचिका केवल आर. एफ. ए. सं. 427/2006 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री भाग दिनांक 12.11.2008 के संबंध में निर्देशित की गई है, जैसा कि दिनांक 20.10.2010 के आदेश द्वारा सही किया गया है।

इसमें लिखा हैः

" हम वादी को उस राशि की वसूली करने का निर्देश देते हैं जैसा कि यहाँ दावा किया गया है।

रुपये. 1,00,76,630/- की मांग की तारीख से 29.07.1994 से 03.08.1994 तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ और 04.08.1994 से उक्त राशि पर भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत की दर से

लागतों के साथ।

ओ. एस. नं. 2808/1997 सूट में की गई प्रार्थना का अवलोकन उपरोक्त पैरा 2 में निकाले गए उद्धरण से पता चलता है कि वादी ने किसी विशेष दर पर ब्याज का दावा नहीं किया है और उसने किसी विशेष तिथि से ब्याज का अनुरोध भी नहीं किया है। उन्होंने भी रुचि का दावा नहीं किया है

अलग-अलग दरें भी। इस प्रकार आर. एफ. ए. सं. 427/2006 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री द्वारा मांगी गई प्रार्थना पर आधारित नहीं है।

ओ. एस. सं. 2808/1997 में वादी। यह गलती रिकॉर्ड के चेहरे पर दिखाई देती है। इसलिए आर. एफ. ए. सं. 427/2006 दिनांकित 12.11.2008 में आक्षेपित निर्णय और डिक्री, जैसा कि 20.10.2010 पर सही किया गया है, वादी द्वारा ओ. एस. सं. 2808/1997 में की गई प्रार्थना के संदर्भ में उक्त निर्णय और डिक्री की समीक्षा और संशोधन के लिए उत्तरदायी है।

उस आधार पर, यह अनुरोध किया गया था कि 4 अगस्त, 1994 से ब्याज का पुरस्कार भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा इसका दावा नहीं किया गया था

निचली अदालत में नंबर 1।

19] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. इस समीक्षा याचिका को उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ 09 सितंबर, 2011 के आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया हैः टिप्पणियाँः

हमारे अनुसार, जब इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है, तो हमारे द्वारा किसी भी समीक्षा पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। तदनुसार, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है।

8. जैसा कि उपरोक्त आदेश से देखा जा सकता है, समीक्षा याचिका को खारिज करने का कारण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है

उच्च न्यायालय के 12 नवंबर, 2008 के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय की समीक्षा की अनुमति नहीं है। पुनर्विचार याचिका में यह आदेश है जिसे इन कार्यवाहियों में चुनौती दी गई है क्योंकि अपीलार्थी का मामला यह है कि जब विशेष अनुमति याचिका को बोलने के आदेश से नहीं बल्कि सीमित अवधि में खारिज कर दिया गया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका पर विचार नहीं करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा सीमित अवधि में विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना उच्च न्यायालय के फैसले का उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ विलय नहीं है।

9. कानून का सवाल जिसे उपरोक्त परिस्थितियों में निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका उस फैसले की समीक्षा की मांग करने के लिए बनाए रखने योग्य है जिसके खिलाफ इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पहले ही खारिज कर दी गई है।

10. इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने का कारण इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी विचार हैं।

रेफरल क्रम में ध्यान दिया गया। उन निर्णयों पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, हम संदर्भ क्रम से निम्नलिखित अंशों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

" 12. हम इस संबंध में यह भी बता सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष को अपील करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है लेकिन यह उच्चतम न्यायालय को उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 136 का खंड (1) हॉडे डिस्टिलरीज लिमिटेड को बहुत व्यापक और व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

वी. श्री महादेश्वर हकरा सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

सुप्रीम कोर्ट। यह अनुच्छेद एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है, शब्द प्रबल प्रभाव वाले होते हैं और स्पष्ट रूप से संविधान निर्माताओं के इरादे को इंगित करते हैं कि यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है।

और संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के किसी भी क़ानून या अन्य प्रावधानों द्वारा निरंकुश अवशिष्ट शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र को कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अनुच्छेद 136 के तहत असाधारण शक्ति है। अनुच्छेद 136 एक असाधारण शक्ति है जिसे छीन नहीं लिया जा सकता है।

कानून।

13. हम यह भी देखते हैं कि कई कानून अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विपरीत पीड़ित पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.) अधिनियम, 1992 की धारा 15-जेड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.) के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। इसलिए विभिन्न नियामक कानून भी अपील के वैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं। अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में न्यायपालिका और विलय का सिद्धांत किस हद तक लागू होगा

अपील के साथ-साथ अनुच्छेद 136 को लागू करने वाली अपील पर विचार करते समय दी गई अपील पर न तो अब्बई मलिगाई या कुन्हयमद मामले में बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाता है, जो हमारे विचार में, बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाने वाला मुद्दा भी है।

14. हम देखते हैं कि इस न्यायालय के साथ-साथ देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष अनुमति दिए बिना विशेष अनुमति याचिका के निपटारे के बाद समीक्षा याचिकाओं की स्थिरता पर काफी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन बिना कारण बताए या बताए, जिन पर परस्पर विरोधी विचार भी दिए जा रहे हैं।

इस न्यायालय की दो न्यायाधीश पीठों द्वारा व्यक्त किया गया। उन विवादों को हल करने और उच्च न्यायालयों को उचित मार्गदर्शन के लिए, हम महसूस करते हैं कि यह उचित होगा कि इस मामले को एक आधिकारिक निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाए।

11. इस न्यायालय के दो निर्णय हैं, जिनमें से दोनों तीन ई-बेंच निर्णय हैं। सबसे पहले अब्बाई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म है।

एक अन्य वी। के. शांताकुमारन और अन्य '। यह निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इस दलील के साथ दिया गया है कि उस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री पारित की गई थी

:)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के साथ पुष्टि की जाती है, उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। अन्य निर्णय कुन्हयमद और अन्य बनाम के मामले में है। केरल राज्य और एक अन्य। इस निर्णय में न्यायालय ने विभिन्न तरीके निर्धारित किए हैं जिनसे विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जा सकती हैं।

निपटाया गया और तय किया गया कि किन मामलों में समीक्षा की अनुमति होगी

और जहां इस तरह की समीक्षा मनोरंजक नहीं है, विलय के सिद्धांत और रेस जुडिकाटा, आदि पर। हम इस स्तर पर ही यह इंगित कर सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए विभिन्न निर्णयों (जो दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय हैं) ने उपरोक्त दो मामलों की व्याख्या पर अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी हैं।

परिणाम।

12. मेघमाला और अन्य बनाम। जी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य 3 और के. राजामौली बनाम। A.V.K.N स्वामी, इस न्यायालय द्वारा लिया गया विचार यह था कि पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है। हालाँकि, मेघमाला में न्यायालय ने एक अपवाद देते हुए कहा कि यदि कोई वादी सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले समीक्षा याचिका दायर करता है और यह विशेष अनुमति याचिका खारिज होने तक लंबित रहती है, तो समीक्षा याचिका अभी भी विचार करने योग्य है। हालांकि, विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद दायर समीक्षा याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। दूसरी ओर, गंगाधारा पालो बनाम। राजस्व प्रभागीय अधिकारी अधिकारी और

एक अन्य, इस न्यायालय ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि समीक्षा याचिका विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने से पहले उच्च न्यायालय में दायर की गई थी या उसे खारिज करने के बाद। दोनों ही मामलों में, विलय का सिद्धांत तब भी लागू होगा, जब विशेष अनुमति याचिका को सीमित अवधि में खारिज कर दिया जाता है, जो विशेष अनुमति याचिका खारिज होने पर उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने पर रोक लगाएगा।

13. उपरोक्त दृष्टिकोण के विपरीत, मामलों की एक और पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई अनुमति नहीं दी गई है तो समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य है अपील दायर करने के लिए और प्रारंभिक चरण में ही विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इन मामलों में यह विचार रखा गया है कि एक प्रारंभिक चरण एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है और इसलिए, विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये मामले पलानी रोमन कैथोलिक हैं।

2 (2000) 6 एस. सी. सी. 359 3 (2010) 8 एस. सी. सी. 383 4 (2011) 4 एस. सी. 602 खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड।

वी. श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

मिशन वी. एस. बागीरथी अम्मल, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम। कृष्ण कुमार विज और एक अन्य "।

14. उपरोक्त निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, तत्काल मामले में संदर्भ आदेश संघर्ष की प्रकृति के बारे में टिप्पणी करता है

उनके बीच, जो निर्णय के पैराग्राफ 11 में उल्लिखित है और नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 11. हम देखते हैं कि के. राजामौली के मामले में इस अदालत ने कुन्हयमद और प्रतिष्ठित अब्बई मलिगाई पार्टनरशिप फर्म का अनुसरण किया है और गंगाधर पालो में बाद की पीठ ने के. राजामौली में व्यक्त विचार को स्वीकार नहीं किया। इस हद तक, गंगाधारा पालो और के के फैसलों के बीच कुछ टकराव है।

राजामौली जो एक बड़ी पीठ द्वारा समाधान की मांग करता है "।

15. उपरोक्त मामलों की तर्ज पर, भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम में इस न्यायालय के हाल के फैसले को जोड़ना उपयोगी हो सकता है। की स्थिति केरल और अन्य ', जो फिर से दो न्यायाधीशों की पीठ है। हालाँकि इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं थी जहाँ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के बाद समीक्षा याचिका दायर की गई थी, साथ ही, विशेष अनुमति याचिका को सीमित रूप से खारिज करने का मतलब यह समझाया गया था कि यह अभी भी इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर निर्णय था।

16. जिस तरीके से इस मुद्दे से निपटा गया है, वह बताए जाने के बाद

ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों पर पहले अब्बई मालिगाई साझेदारी फर्म में निर्धारित कानून पर चर्चा करना उचित होगा और साथ ही साथ

कुन्हयमद के मामले क्योंकि दोनों निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या वे परस्पर विरोधी विचार रखते हैं।

17. अब्बई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत एक मामला था और अपील मद्रास उच्च न्यायालय से आई थी। प्रतिवादी सं. द्वारा दायर एक बेदखली याचिका में। 1 और 2 उक्त मामले में, किराया नियंत्रक ने किराए के भुगतान में जानबूझकर चूक के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा परिसर की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उसमें अपीलार्थियों को बेदखल करने का आदेश दिया था। 1 और 2 अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए। अपील में, किराया नियंत्रक के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में एक प्रामाणिक विवाद था जिसका निर्णय दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता था। द. 5 (2009) 16 एस. सी. सी. 657

6 (2010) 8 एस. सी. सी. 701

7 2018 (11) स्केल 141 [2019] 3 एस. सी. आर.

उत्तरदाताओं ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जिन्हें खारिज कर दिया गया। उन्होंने विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया। इन विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने के बाद, उत्तरदाताओं ने 221 दिनों की देरी के साथ उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने देरी को माफ कर दिया और गुण-दोष के आधार पर समीक्षा याचिका पर भी विचार किया और न केवल उन समीक्षा याचिकाओं को अनुमति दी, बल्कि उन याचिकाओं को अनुमति देकर और अपीलकर्ताओं/किरायेदारों को बेदखल करने का आदेश देकर नागरिक संशोधन याचिकाओं में पहले दिए गए आदेशों को भी उलट दिया। समीक्षा में पारित इस आदेश के खिलाफ अपील में और

पुनरीक्षण याचिकाओं में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता स्पष्ट रूप से गलत थी। इस संबंध में पूरी चर्चा एक पैराग्राफ में निहित है, जिसे हम पुनः प्रस्तुत करते हैं।

नीचेः

" 4. जिस तरह से उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, उसी आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद खारिज कर दिया गया था, कम से कम कहने के लिए, उचित नहीं था। उस स्तर पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हस्तक्षेप न्यायिक अनुशासन के प्रतिकूल है। उच्च न्यायालय इस बात से अवगत था कि दिनांक 1 के आदेशों के खिलाफ एसएलपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के पास स्वयं के आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो इस न्यायालय में एसएलपी में चुनौती का विषय था।

चुनौती विफल रही। 7-4-1994 पर विवादित आदेश पारित करके, न्यायिक औचित्य का त्याग कर दिया गया है। बर्खास्तगी के बाद

इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं पर, प्रतिस्पर्धा पर, उसी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी समीक्षा याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता था। पुनरीक्षण याचिकाओं का मनोरंजन, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के आदेश का अपमान था। हम अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा।

भविष्य में ऐसा कोई अवसर न आए जब हमें ऐसा कहना पड़े। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से गलत था। इस न्यायालय द्वारा अपने एस. एल. पी. को खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले प्रतिवादियों ने अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और परेशान करने वाले मुकदमे दायर किए। हम उस मामले की कड़ी निंदा करते हैं जिसमें इस न्यायालय द्वारा एसएलपी को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं और सुनवाई की गई। अपील उस छोटे से आधार पर सफल होने के योग्य है। नतीजतन, अपीलों की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड।

वी. श्री महादेश्वर साकर साकर कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

समीक्षा याचिकाओं में पारित दिनांक 7-4-1994 को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।

प्रतिवादियों को लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

18. दूसरी ओर, कुन्हयमद के मामले में, वन न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया था कि विवादित भूमि सरकार में निहित नहीं है।

केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 के प्रावधान। इस आदेश के खिलाफ केरल राज्य की अपील को उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 1982 को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे यह कहते हुए सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था-विशेष अनुमति याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है। इसके बाद, एस्टेट ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसमें वन न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य की अपील को खारिज कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान, वर्ष 1986 में किए गए संशोधन द्वारा केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 में धारा 8 (सी) को जोड़ा गया था, जिससे सरकार कुछ मामलों में अपील या समीक्षा दायर कर सकती है। यह प्रावधान पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पेश किया गया था, अर्थात 19 नवंबर, 1983। जनवरी 1984 में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इन तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 1995 को आदेश पारित कर समीक्षा याचिका की स्थिरता पर आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि समीक्षा बनाए रखने योग्य थी और मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। इस आदेश को चुनौती दी गई थी जो उपरोक्त मामलों में अपील का विषय बन गया था। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क दो प्रकार का थाः (क) उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर, 1982 के आदेश को 18 जुलाई, 1983 के आदेश के साथ मिला दिया गया था, जिसके तहत विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी और इसलिए कोई समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी; और (ख) विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि के बराबर था और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि समीक्षा बनाए रखने योग्य थी क्योंकि विलय का सिद्धांत लागू नहीं था

उपरोक्त परिस्थितियों में। हालांकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि न्यायालय ने विलय के सिद्धांत पर विचार-विमर्श किया और उन स्थितियों को समझाते हुए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण और स्पष्ट निर्णय दिया जहां समीक्षा की जाएगी।

रखरखाव योग्य और साथ ही ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ यह उपरोक्त सिद्धांत पर रखरखाव योग्य नहीं होगा।

19. विलय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा कि इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि एक से अधिक डिक्री या आदेश नहीं हो सकते हैं। एक निश्चित समय पर एक ही विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले संचालन आदेश। जब किसी निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण या [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा पारित कोई डिक्री या आदेश।

प्राधिकरण एक वरिष्ठ मंच के समक्ष कानून के तहत उपलब्ध उपचार के अधीन है, फिर भी, हालांकि चुनौती के तहत डिक्री या आदेश प्रभावी और बाध्यकारी बना हुआ है, फिर भी, इस अंतिमता को खतरे में डालना है।

एक बार जब उच्च न्यायालय अपने समक्ष किसी भी तरीके से विवाद का निपटारा कर देता है, यानी या तो डिक्री या आदेश की पुष्टि करके या अलग व्यवस्था करके या उसे संशोधित करके, तो यह उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की डिक्री है जो अंतिम बाध्यकारी और परिचालन डिक्री है और निचले न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की डिक्री या आदेश को उच्च मंच द्वारा पारित आदेश में विलय कर दिया जाता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि

सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का नहीं है। वरिष्ठ मंच द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति और रखी गई या रखी जा सकने वाली चुनौती की सामग्री या विषय वस्तु को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान पर चर्चा की। जहाँ तक अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का संबंध है, यह समझाया गया है कि अनुच्छेद 136 एक गैर-अबाधित खंड के साथ खुलता है और एक संदेश देता है कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में भी, अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र एक उपयुक्त मामले में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है। यह एक

परिभाषित सीमाओं तक सीमित रहने में असमर्थ शक्ति का निर्बाध भंडार; सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार केवल एक सीमा के अधीन है, वह है न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता और सद्बुद्धि या न्याय की भावना। किसी भी पक्ष को अपील करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है; केवल एक विवेकाधिकार सर्वोच्च न्यायालय में निहित है कि वह किसी आवेदक को अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देकर हस्तक्षेप करे जो अन्यथा और अधिकार के रूप में खुला नहीं है।

20. अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग और जिस तरीके से इससे निपटा जाता है, उसे नीचे स्पष्ट किया गया हैः

" 14. संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दो चरण शामिल हैंः ((i) विशेष अनुदान

अपील करने की अनुमति; और (ii) अपील की सुनवाई। संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश 16 के प्रावधानों से यह अंतर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। नियम 4 के तहत, याचिका विशेष की मांग करती है

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपील की अनुमति प्रपत्र संख्या 28 में होगी। अंतरिम राहत के लिए कोई अलग आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे HODAY DISTILLERIES LTD में शामिल किया जा सकता है।

वी. श्री महादेश्वर हकरा सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

स्वयं याचिका दायर करें। यदि विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस का आदेश दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को नोटिस देने के लिए कदम उठाने चाहिए। याचिका के साथ एक प्रमाणित प्रति होगी

याचिका में निहित तथ्यों के बयान के समर्थन में एक निर्णय या आदेश और एक हलफनामा। नियम 10 के तहत विशेष अनुमति देने की याचिका को एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा जब तक कि कोई चेतावनी न हो। न्यायालय यदि उचित समझता है, तो प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने का निर्देश दे सकता है और याचिका की सुनवाई स्थगित कर सकता है। नियम 13 के तहत, जिस प्रतिवादी को विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया है या जिसने कैविएट दायर किया है, वह बिना अनुमति के छुट्टी या अंतरिम आदेश देने का विरोध करने का हकदार होगा।

कोई भी लिखित आपत्ति दर्ज करना। वह केवल कानून के प्रश्नों या एसएलपी में निर्धारित आधारों के विरोध में आधार निर्धारित करके अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। सुनवाई के बाद, न्यायालय अनुमति को अस्वीकार कर सकता है और याचिका को खारिज कर सकता है।

एकतरफा या विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने के बाद अपील करने के लिए विशेष अनुमति। नियम 11 के तहत, विशेष अनुमति देने पर, विशेष अनुमति के लिए याचिका, अतिरिक्त अदालत शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के अधीन, अपील की याचिका के रूप में मानी जाएगी और इसे पंजीकृत और इस तरह से क्रमांकित किया जाएगा। अपील को उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका और स्वयं अपील, हालांकि दोनों पर अनुच्छेद 136 द्वारा विचार किया गया है।

संविधान के दो स्पष्ट रूप से अलग-अलग चरण हैं। हमारी राय में, जो कानूनी स्थिति सामने आती है, वह इस प्रकार हैः

(1) अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका पर सुनवाई करते समय, न्यायालय से यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या याचिकाकर्ता को ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इस तरह की याचिका की सुनवाई करते समय, न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है; यह केवल अपील करने की अनुमति देने या न देने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता अभी भी प्रवेश द्वार के बाहर है, हालांकि वह उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र में प्रवेश करने का इच्छुक है। वह प्रवेश करता है या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करेगा विशेष अवकाश के लिए उसकी याचिका;

(2) यदि अपील करने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी जाती है, तो यह न्यायालय द्वारा राय की अभिव्यक्ति है कि न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को लागू करने का मामला नहीं बनाया गया था; [2019] 3 एस. सी. आर.

(3) यदि अपील करने की अनुमति दी जाती है तो न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता लागू की जाती है; अपीलीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए द्वार खोला जाता है। याचिकाकर्ता अंदर है और प्रतिवादी को भी उसका सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, हालांकि एक उपयुक्त मामले में, इसके बावजूद

अपील करने की अनुमति देने के बाद, न्यायालय प्रत्यर्थी को नोटिस किए बिना अपील को खारिज कर सकता है।

(4) अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर किए जाने के बावजूद, निर्णय, डिक्री या आदेश जिसके खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई है, अंतिम, प्रभावी और प्रभावी बना हुआ है।
पार्टियों के बीच बाध्यकारी। एक बार अपील करने की अनुमति दिए जाने के बाद, निर्णय, डिक्री या आदेश की अंतिमता को खतरे में डाल दिया जाता है, हालांकि यह पक्षों के बीच बाध्यकारी और प्रभावी बना रहता है जब तक कि यह अमान्य न हो या जब तक कि

न्यायालय रोक लगाने या निलंबित करने के लिए एक विशिष्ट आदेश पारित कर सकता है

चुनौती के तहत निर्णय, डिक्री या आदेश का संचालन या निष्पादन।

21. इसके बाद न्यायालय ने ऐसे कई मामलों का विश्लेषण किया जहां आदेश दिए गए थे।

विभिन्न प्रकृति के निर्णय पारित किए गए और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करके इन निर्णयों से निपटा गयाः

(i) विशेष अनुमति याचिका के स्तर पर बर्खास्तगी-बिना किसी कारण के।

· 3. कोई न्याय नहीं, कोई विलय नहीं।

((ii) बोलने या तर्कपूर्ण आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना-कोई विलय नहीं, बल्कि अनुशासन का नियम और अनुच्छेद 141 आकर्षित करता है।

(iii) अनुमति दी गई-बिना किसी कारण के बर्खास्तगी-विलय का परिणाम 1 0 10।

8 कामगार बनाम में निर्णयों के आधार पर प्रस्ताव। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल, (1978) 3 एस. सी. सी. 119; वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड v. औद्योगिक न्यायाधिकरण, ए. आई. आर. 1958 मद 398; इंडियन ऑयल कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. बिहार राज्य, (1986) 4 एस. सी. सी. 146; रूप डायमंड्स बनाम। भारत संघ, (1989) 2 एस. सी. सी. 356; विल्सन बनाम। कोलचेस्टर जस्टिस, (1985) 2 ऑल ईआर 97 (एचएल); सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। वी. भारत संघ, (1989) 4 एस. सी. सी. 187; योगेंद्र नारायण चौधरी बनाम। भारत संघ, (1996) 7 एस. सी. सी. 1; वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., (2000) 5 एस. सी. सी. 373; श्री नारायण धर्मसंघोम न्यास बनाम। स्वामी प्रकाशानंद, (1997) 6 एस. सी. सी. 78 और महाराष्ट्र राज्य बनाम। प्रभाकर भीकाजी इंगले, (1996) 3 एस. सी. सी. 463। ' पेनू बालकृष्ण

अय्यर बनाम। अरिया एम. रामास्वामी अय्यर, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 195; अब्बई मलिगाई पार्टनरशिप फर्म बनाम। के. शांताकुमारन, (1998) 7 एस. सी. सी. 386; शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम। कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट, (1969) 2 एस. सी. सी. 74; सुशील कुमार सेन बनाम। बिहार राज्य, (1975) 1 एस. सी. सी. 774; गोपबंधु बिस्वाल बनाम। कृष्ण चंद्र मोहंती, (1998) 4 एस. सी. सी. 447; जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स फोरम बनाम। भारत संघ, 1993 सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 693 और उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ। मामला, (1989) 4 एस. सी. सी. 187।

10 थुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सरकार. ए. पी., ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1372.

होडे डिस्टिलरीज लिमिटेड। वी. श्री महादेश्वर हकरा सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

22. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि ऊपर उल्लिखित डी सिद्धांत को निर्धारित करते समय, न्यायालय ने बाई मालीगाई पार्टनरशिप फर्म के फैसले पर ध्यान दिया और निम्नलिखित में इस पर चर्चा कीः

एरः

" 26. पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद एस. एल. पी. को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रभाव को जोड़ने वाला अंतर्निहित तर्क हाल ही में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से स्पष्ट है।

अब्बई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म वी. में न्यायालय।

के. शांताकुमारन [(1998) 7 एससीसी 386]। किराया नियंत्रक के समक्ष शुरू की गई बेदखली की कार्यवाही के मामले में, उसमें पारित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील और फिर पुनरीक्षण के अधीन था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई थी जहां प्रतिवादी कैविएट पर मौजूद थे। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना गया। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गईं। उच्च न्यायालय ने

इसके बाद समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया गया जो अत्यधिक विलंबित थीं और देरी को माफ करने के बाद नागरिक संशोधन याचिकाओं में पहले दिए गए आदेशों को उलट दिया गया था। समीक्षा के आदेशों को चुनौती दी गई थी विशेष अवकाश याचिकाओं पर दी गई छुट्टी के तहत अपील दायर करके। इस न्यायालय ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जो किया गया वह "न्यायिक अनुशासन के प्रतिकूल" था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों ने इस न्यायालय को यह राय बनाने के लिए राजी किया कि किरायेदार परेशान करने वाले मुकदमों में लिप्त थे, उच्च न्यायालय का रुख करके न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे और समीक्षा याचिकाओं का मनोरंजन (221 दिनों की लंबी देरी को माफ करने के बाद) और फिर पहले के आदेशों को उलटना इस न्यायालय के आदेश का अपमान था। हालाँकि विद्वान न्यायाधीश निर्णय लेते हैं कि

उनके फैसले के दौरान कहीं भी मामले पर भरोसा नहीं किया गया है

उनके द्वारा किए गए दृष्टिकोण को लेने के लिए विलय का सिद्धांत। इस निर्णय को सावधानीपूर्वक पढ़ने से कानून का सही कथन सामने आता है।

और हमें इस दृष्टिकोण को नीचे के रूप में लेने में मजबूत करता है।

23. यह भी ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि न्यायालय ने उस मामले पर विचार किया है जिसमें समीक्षा समय पर पहले दायर की जाती है और उसके बाद विशेष याचिका दायर की जाती है, और निम्नलिखित स्थिति पर विचार किया जाता है। एरः

" 37. मान लीजिए कि समीक्षा पहले दायर की जाती है और एसएलपी में देरी को माफ कर दिया जाता है और विशेष अनुमति अंततः दी जाती है और [2019] 3 एस. सी. आर.

इस न्यायालय में अपील लंबित है। तब स्थिति, आदेश के तहत

47 नियम 1 सी. पी. सी. यह है कि फिर भी समीक्षा का निपटारा किया जा सकता है

उच्च न्यायालय। यदि किसी डिक्री की समीक्षा निपटान से पहले दी जाती है

डिक्री के खिलाफ अपील की, डिक्री ने इच्छा के खिलाफ अपील की

अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और अपील अक्षम हो जाएगी। अ. खिलाफ समीक्षा के बाद डिक्री के खिलाफ अपील को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

फरमान जारी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिक्री की समीक्षा की गई है

समीक्षा पर पारित डिक्री और अपील में विलय हो जाता है

उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश के खिलाफ वरीयता दी

व

ह एक

समीक्षा से पहले-निष्फल हो जाता है।

24. लगभग सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद, न्यायालय ने

इसके निष्कर्ष और पैराग्राफ से कानूनी स्थिति को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया

44. हम नीचे उसी को पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" 39. हमने सभी उपलब्ध निर्णयों को सूचीबद्ध किया है और उनसे निपटा है

कि कई दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों में से एक है राय का टकराव और इसे शांत करने की आवश्यकता है। इसका स्रोत

इस न्यायालय के निर्णयों पर बाध्यकारी प्रभावकारिता प्रदान करने की शक्ति है

ऐसे सभी निर्णयों में एकरूपता नहीं है। संदर्भ पाया गया है कि

(i) संविधान के अनुच्छेद 141, (ii) विलय का सिद्धांत,

40. अपील के लिए विशेष अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका हो सकती है कई कारणों से अस्वीकार कर दिया गया। उदाहरण के लिए, इसे अस्वीकार किया जा सकता है (i)

जैसा कि समय द्वारा वर्जित है, या (ii) एक दोषपूर्ण प्रस्तुति होने के कारण, (iii)

याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, (iv) आचरण

याचिकाकर्ता द्वारा उसे न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के लिए अयोग्य घोषित करना,

((iv) याचिकाकर्ता द्वारा विचार के लिए उठाया गया प्रश्न

न्यायालय का विचार के योग्य नहीं होना या उस पर विचार किए जाने के योग्य नहीं होना

देश के सर्वोच्च न्यायालय आदि द्वारा। अभिव्यक्ति अक्सर ऐसी याचिकाओं का निपटारा करते समय इस न्यायालय द्वारा नियोजित हैं

" सुना और खारिज किया "," खारिज "," समय द्वारा वर्जित के रूप में खारिज "

और इसी तरह। हो सकता है कि प्रवेश के स्तर पर ही इसके विपरीत हो।

पार्टी कैविएट या नोटिस पर दिखाई देती है और प्रतियोगिता की पेशकश करती है

याचिका दायर करने के लिए अनुमति मांगने वाली याचिकाकर्ता की प्रार्थना की योग्यता अपील करने और एक राय बनाने के बाद यह कहा जा सकता है कि "HODAY DISTILLERIES LTD पर खारिज कर दिया गया।

वी. श्री महादेश्वर हकरा सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

गुण "। ऐसा आदेश एकतरफा भी पारित किया जा सकता है, अर्थात

विरोधी पक्ष की अनुपस्थिति। किसी भी मामले में, बर्खास्तगी एक गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा बर्खास्तगी बनी रहेगी जहां कोई कारण नहीं होगा। उन्हें सौंपा गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई कानून घोषित नहीं किया गया है। बर्खास्तगी अपील की नहीं बल्कि विशेष अनुमति याचिका की है। भले ही गुण-दोषों पर गौर किया गया हो, वे केवल विशेष अनुमति याचिका के गुण-दोष हैं। हमारी राय में न तो विलय का सिद्धांत और न ही संविधान का अनुच्छेद 141 इस तरह की नीति की ओर आकर्षित होता है।

आदेश दें। पुनर्विलोकन अधिकारिता के प्रयोग के लिए अधिकार देने वाले आधार प्रदान किए गए

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान या रिट या पर्यवेक्षी के प्रयोग में पारित आदेश की समीक्षा की अनुमति

उच्च न्यायालय की अधिकारिता (जहां आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. अधिनियम से अंतर्निहित या उभरते सिद्धांत भी दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करते हैं) आवश्यक रूप से वही नहीं हैं जिन पर यह न्यायालय इस उद्देश्य के लिए याचिका का निपटान करते समय अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने या न देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। केवल एक विशेष अनुमति याचिका की अस्वीकृति उस न्यायालय, न्यायाधिकरण या मंच के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनती है जिसका आदेश अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका का विषय बनाता है यदि समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए आधार मौजूद हैं। जहां एस. एल. पी. को अस्वीकार करने का आदेश एक बोलने वाला आदेश है, यानी जहां इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति के लिए याचिका को अस्वीकार करने के लिए कारण दिए गए हैं और आदेश में कहा गया है, फिर भी आदेश अनुदान के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाला बना रहता है।

तथ्य या कानून के बिंदु पर निर्णय (स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा) इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ या उससे भिन्न किसी भी राय को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की अधिकारिता को छीन लेगा क्योंकि ऐसा करने की अनुमति देना न्यायिक अनुशासन के प्रतिकूल होगा और इस न्यायालय के आदेश का अपमान होगा। हालाँकि यह विलय के सिद्धांत के संदर्भ में ऐसा नहीं होगा। 41. एक बार विशेष अनुमति याचिका मंजूर किए जाने के बाद, इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए दरवाजे [2019] 3 एस. सी. आर.

खोलें। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवादित आदेश एक आदेश बन जाता है जिसके खिलाफ अपील की जाती है। इसके बाद पारित कोई भी आदेश एक अपीलीय आदेश होगा और विलय के सिद्धांत की प्रयोज्यता को आकर्षित करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदेश है या नहीं।

इसके विरुद्ध अपील किए गए आदेश की पुष्टि करने वाला प्रत्यावर्तन या संशोधन या बर्खास्तगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रम बोलने वाला है या न बोलने वाला। जब भी यह न्यायालय अपने समक्ष जारी किए गए आदेश के गुण-दोष पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इच्छुक महसूस करता है, हालांकि वह इसकी पुष्टि करने के लिए इच्छुक हो सकता है, तो यह है -

इस न्यायालय के साथ अपील करने की अनुमति देने की प्रथा है और उसके बाद अपील को ही खारिज कर दिया जाता है (और केवल विशेष अनुमति के लिए याचिका नहीं) हालांकि कभी-कभी अपील करने और अपील को खारिज करने की अनुमति देने वाले आदेश एक ही आदेश में निहित होते हैं और कभी-कभी आदेश काफी संक्षिप्त होते हैं। फिर भी, आदेश अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को दर्शाता है और उसमें विवादित आदेश के गुण-दोष इस न्यायालय की न्यायिक जांच के अधीन हैं।

42. " विलय का अर्थ है किसी और चीज में डूबना या गायब होना; अवशोषित या बुझ जाना; संयुक्त होना या निगल लिया जाना। कानून में विलय को कम महत्व की चीज़ का अधिक से अधिक द्वारा अवशोषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा कम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन

अधिक नहीं बढ़ाया जाता है; एक अवशोषण या निगलना ताकि पहचान और व्यक्तित्व का नुकसान हो। (कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, वॉल्यूम देखें। एल. वी. आई. आई., पीपी. 1067-68 .) 43. हम इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका पर निर्णय लेते समय उसके खिलाफ अपील की गई डिक्री या आदेश को उलट या संशोधित नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्या आक्षेप किया जा सकता है

अपील करने की अनुमति देने और फिर उस पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के बाद ही उलट या संशोधित किया जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश को एसएलपी में उलट या संशोधित नहीं किया जा सकता है

यह स्पष्ट है कि एसएलपी में भी आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती है

स्टेज।

44. संक्षेप में, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं: (i) जहां किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उच्चतर मंच के समक्ष पारित आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन प्रदान किया जाता है और ऐसा उच्चतर मंच उसके समक्ष जारी किए गए निर्णय को संशोधित, उलट या पुष्टि करता है, तो अधीनस्थ मंच द्वारा निर्णय HODAY DISTILLERIES LTD का विलय कर देता है।

वी. श्री महादेश्वर हकरा सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

उच्चतर मंच द्वारा निर्णय में और यह बाद वाला है जो बना रहता है, सक्रिय रहता है और कानून की नजर में प्रवर्तन करने में सक्षम है। ((ii) संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र दो चरणों में विभाजित है। पहला चरण अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना के निपटारे तक है। दूसरा चरण

शुरू होता है यदि और जब अपील करने की अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में परिवर्तित किया जाता है।

((iii) विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। यह वरिष्ठ मंच द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति पर निर्भर करेगा और चुनौती देने या रखे जाने में सक्षम विषय वस्तु या विषय वस्तु विलय की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगी। उच्चतर क्षेत्राधिकार को अपने समक्ष जारी आदेश को उलटने, संशोधित करने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय-डिक्री या आदेश को उलट, संशोधित या पुष्टि कर सकता है। अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका का निपटारा करते हुए विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए नहीं, बल्कि अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसके खिलाफ अपील की गई। इसलिए विलय का सिद्धांत पहले वाले पर लागू किया जा सकता है न कि बाद वाले पर।

((iv) अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने का आदेश गैर-कानूनी हो सकता है।

बोलने का क्रम या बोलने वाला। किसी भी मामले में यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। अपील के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था ताकि अपील दायर करने की अनुमति दी जा सके। (v) यदि अपील करने की अनुमति से इनकार करने का आदेश एक बोलने वाला आदेश है, यानी छुट्टी देने से इनकार करने के कारण देता है, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं। सबसे पहले, आदेश में निहित कानून का बयान संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा है। दूसरा, कानून की घोषणा के अलावा, आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हैं जो उसके पक्षों को और न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की किसी भी कार्यवाही में बाध्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन, यह कहने का मतलब यह नहीं है कि अदालत, न्यायाधिकरण या [2019] 3 एस. सी. आर. का आदेश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष अनुमति याचिका को अस्वीकार करने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश में नीचे दिए गए प्राधिकरण का विलय हो गया है या यह कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एकमात्र आदेश है जो न्यायपालिका के रूप में बाध्यकारी है।

पक्षकारों के बीच बाद की कार्यवाही।

(vi) एक बार अपील करने की अनुमति दे दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू किया गया है, अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा; आदेश हो सकता है -

प्रत्यावर्तन, संशोधन या केवल पुष्टि।

(vii) किसी अपील को प्राथमिकता दिए जाने या अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में परिवर्तित किए जाने पर, उसके बाद पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जैसा कि इसके नियम 1 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदान किया गया है।

आदेश 47 सी. पी. सी. "

25. उपरोक्त दो निर्णयों और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब्बई मलिगाई के मामले में पहले का निर्णय

साझेदारी फर्म का विधिवत संज्ञान लिया गया है और बाद के फैसले में समझाया गया है, हमारा विचार है कि जहां तक अनुपात का संबंध है, कोई संघर्ष नहीं है

कानून के अच्छी तरह से स्वीकृत प्रस्ताव जो ऐसे मुद्दे के लिए लागू होते हैं। इसलिए, हमारा विचार है कि कुन्हयमद में विस्तृत निर्णय सही कानून निर्धारित करता है और मामलों को बड़ी पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया था। 26. इस दृष्टिकोण को लेते हुए, हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि के. राजामौली के मामले में भी इस न्यायालय ने इन दोनों निर्णयों पर ध्यान दिया और निम्नलिखित तरीके से न्यायिक निर्णय के सिद्धांत की व्याख्या कीः

" 4. कुन्हयमद [(2000) 6 एस. सी. सी. 359] में निर्णय के बाद हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के मुख्य फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने से न्यायपालिका का गठन नहीं होगा जब समीक्षा याचिका में पारित आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है बशर्ते कि समीक्षा याचिका उच्च न्यायालय के मुख्य फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले दायर की गई हो। स्थिति अलग होगी जहां मुख्य फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद एक पक्ष HODAY DISTILLERIES LTD पर लंबी देरी के बाद समीक्षा याचिका दायर करता है।

वी. श्री महादेश्वर हकरा सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

यह आधार कि पक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उपचार का मुकदमा चला रहा था। ऐसी स्थिति में समीक्षा दाखिल करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। हम अब्बई मालिगाई पार्टनरशिप फर्म [(1998) 7 एस. सी. सी. 386] में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि यदि उच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिका को देरी को माफ करने के बाद खारिज करने के बाद दायर समीक्षा याचिका को अनुमति देता है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अपमान माना जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। वर्तमान मामले में, समीक्षा याचिका समय के भीतर और उसके बाद से दायर की गई थी

उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जा रहा था, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के मुख्य फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की। इसलिए हम प्रत्यर्थी के वकील की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हैं और मानते हैं कि यह अपील विशेष कारण से उत्पन्न होती है।

अनुमति याचिका बनाए रखने योग्य है। "

27. विभिन्न निर्णयों के संचयी अध्ययन से, हम निम्नलिखित कानूनी स्थिति का सारांश देते हैं:

(क) इसके तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निष्कर्ष

पुष्टि की और दोहराया। (ख) हम इन मामलों के लिए प्रासंगिक निष्कर्षों को निम्नानुसार दोहराते हैं:

" ((iv) अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश गैर-बोलने वाला आदेश या बोलने वाला आदेश हो सकता है। किसी भी मामले में यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। अपील के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होता है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि न्यायालय इसका प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था।

विवेकाधिकार ताकि अपील दायर करने की अनुमति दी जा सके।

(v) यदि अपील करने की अनुमति से इनकार करने का आदेश एक बोलने वाला आदेश है, यानी छुट्टी देने से इनकार करने के कारण देता है, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं। सबसे पहले, में निहित कानून का बयान

आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा है। दूसरा, कानून की घोषणा के अलावा, आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हैं जो न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की किसी भी कार्यवाही में न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, [2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन, यह कहने के बराबर नहीं है कि अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के आदेश को विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में विलय कर दिया गया है या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एकमात्र आदेश है जो न्यायपालिका के संदर्भ में बाध्यकारी है।
पक्षकारों के बीच बाद की कार्यवाही।

(vi) एक बार अपील करने की अनुमति दे दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू किया गया है, अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा; आदेश हो सकता है -

प्रत्यावर्तन, संशोधन या केवल पुष्टि।

(vii) किसी अपील को प्राथमिकता दिए जाने या अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में परिवर्तित किए जाने पर, उसके बाद पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है जैसा कि इसके नियम 1 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदान किया गया है।

आदेश 47 सी. पी. सी. "

(ग) एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि कुन्हयमद में निर्धारित कानून का पालन किया जाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि समीक्षा याचिका है या नहीं।

विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले दायर किया गया था या विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद दायर किया गया था। ऐसी स्थिति कुन्हयमद मामले के पैरा 37 में शामिल है।

28. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, इन अपीलों का परिणाम निम्नानुसार होगाः

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) से उत्पन्न सिविल अपील

2012 का सं. 490: तत्काल मामले में, चूंकि विशेष अनुमति याचिका को बिना कोई कारण बताए सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका विचारणीय होगी और होनी चाहिए।

योग्यता के आधार पर निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 2008 को पारित आदेश को तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है और गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। दीवानी अपील का तदनुसार निपटारा किया गया।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) से उत्पन्न सिविल अपील

2013 का सं. 13792: इस मामले में, हम पाते हैं कि विशेष अनुमति याचिका को 05 जनवरी, 2012 को पारित निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज कर दिया गया थाः

" हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड।

वी. श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड। [ए. के. सिकरी

यहाँ भी, बिना किसी बोलने के आदेश के विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया था। विशेष की बर्खास्तगी के बाद

याचिका में, इस अपील में प्रतिवादी ने समीक्षा याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपीलार्थी द्वारा सामग्री के दमन और न्यायालय में धोखाधड़ी के आधार पर उक्त समीक्षा याचिका को 12 दिसंबर, 2012 को पारित करने की अनुमति दी गई है। एस समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर इस पर विचार करने का अधिकार दिया। जहाँ तक मुझ पर 12 दिसंबर, 2012 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील अपीलकर्ता की बात है

संबंधित मामले को नियमित बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। कल्पना के. त्रिपाठी

याचि

काओं का निपटारा